भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2493
13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारगमन-उन्मुख विकास नीति

2493. श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसकी विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत चयनित शहरों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा लाभार्थियों की कौन-कौन सी श्रेणियां लक्षित की जाएंगी;

(ग) गुजरात सहित देश में उक्त योजना के अंतर्गत चयनित किये जाने वाले संभावित शहरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के लिए कोई बजट व्यय का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी नियोजन का कार्य शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

सरकार ने शहरों को मास्टर/विकास योजनाओं में पारगमन-उन्मुख विकास का प्रावधान शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष**

सहायता योजना (एसएसएएससीआई)- भाग-VI (शहरी नियोजन सुधार), 2022-23 का कार्यान्वयन किया है, शहरी घनत्व और पारगमन में सुगमता लाने के लिए इस पहल को एसएसएएससीआई 2023-24-भाग-III (शहरी नियोजन सुधार) के तहत वर्ष 2023-24 में जारी रखा गया है।

एसएसएएससीआई (शहरी नियोजन सुधार) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 5 राज्यों ने टीओडी कॉरिडोर शुरू किए हैं। वर्ष 2023-24 में 6 राज्यों में 25 टीओडी कॉरिडोर शुरू किए गए हैं।

एसएसएएससीआई 2024-25-भाग-XIII (शहरी नियोजन सुधार) के अंतर्गत, सुधार घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ निर्बाध मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारगमन उन्मुख विकास का कार्यान्वयन और पैदल पथ को अनुकूल बनाने के लिए ब्लॉक आकार को कम करना शामिल है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीओडी कॉरिडोर की अधिसूचना के लिए प्रति कॉरिडोर 10 करोड़ रुपये और कॉरिडोर के घनत्व के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) तैयार करने के लिए प्रति कॉरिडोर 20 करोड़ रुपये का सुधार प्रोत्साहन स्वीकार्य है, इसके अलावा, टीओडी कोरिडोरों में सार्वजनिक/निजी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है।

*****